क्रम संख्या–241

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 06 दिसम्बर, 2007 ई0
अग्रहायण 15, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1201/XXXVI(4)/2007
देहरादून, 06 दिसम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 03 दिसम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 08, वर्ष 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 08, वर्ष 2007)

[भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान मण्डल द्वारा अधिनियमित]

नगर निगमों के निर्वाचन के प्राविधान से सम्बन्धित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 का उत्तराखण्ड के लिए अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2007 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 6 का संशोधन

2\. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 6 (1) (क) में शब्द "पैंतालिस" के स्थान पर "साठ" रख दिया जायेगा।

निरसन और अपवाद

3\. (1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, यह समझा जायेगा कि उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन जो कार्य किया गया है या कार्यवाही की गयी है, वह इस अधिनियम के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया है या की गयी है, मानो यह अधिनियम 12 सितम्बर, 2007 को प्रवृत्त हो गया था।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002 (Amendment) Act, 2007 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 08 of 2007).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on December 03, 2007.

No. 1201/XXXVI(4)/2007
Dated Dehradun, December 06, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND (THE UTTAR PRADESH NAGAR NIGAM ADHINIYAM, 1959) ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002 (AMENDMENT) ACT, 2007

(UTTARAKHAND ACT NO. 08 OF 2007)

[Be enacted in the 58th Year of the Republic of India by the Uttarakhand Legislature as follows]

Further to amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002

AN

ACT

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002 (Amendment) Act, 2007.

Short Title and Commencement

(2) It shall come into force at once.

2. In section 6(1) (a) of The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002, the words "fortyfive" shall be substituted by the word "sixty".

Amendment of Section 6 of The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002

3. (1) The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002 (Amendment) Ordinance, 2007 is here by repealed.

Repeal and Savings

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the aforesaid ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act, as if this Act had come into force on September 12, 2007.

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 71 विधायी/636–2007–100+400 (कम्प्यूटर/रीजियो)।